न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 57/22(01/2004)

1. ताराचन्द पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. राजाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ठाकरी तह0 रायसिंहनगर।

शिकायतकर्तागण।

बनाम

1. नंदराम
2. डालूराम पिसरान ईशरराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिहनगर

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : 1. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट
2. श्री कुलवन्तसिंह संधू एवं श्री चन्द्रकान्त यादव, अधिवक्तागण अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक : 29.09.2022

प्रार्थीगण नंदराम व डालूराम द्वारा दिनांक 29.06.2022 को इस न्यायालय में पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र अ0 धारा 229 आरटीए व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.09.2022 को आदेश पारित कर प्रकरण संख्या 57/2022(01/2004) ताराचंद वगैरह बनाम नंदराम वगैरह निर्णय दिनांक 26.05.2022 में पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 26.05.2022 की कियान्विति स्थगित की गई थी।

उक्त प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्य विभाजन/2022/36 दिनांक 14–01–22 से रायसिंहनगर तहसील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिये जाने के कारण प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण के पिता ईशरराम के पास चक 39 एनपी व रायसिंहनगर के खाता संख्या 5 के मुस्तरका खाता में मु. नं. 44 के किला नं. 5 में 6 बिस्वा, मु. नं. 33 के किला नं0 11 में 4 बिस्वा, किला नं. 12 में 11 बिस्वा, किला नं. 13 में 17 बिस्वा, किला नं. 14 सालम, किला नं. 15 ता. 17 में प्रत्येक में 18 बिस्वा व किला नं. 18 में 1 बिस्वा व मु. नं. 38 के किला नं. 7 ता. 9 में 1 बीघा 4 बिस्वा कुल 6 बीघा 19 बिस्वा में बहिस्सा बराबर आराजी थी। अप्रार्थीगण के पिता के पास चक ठाकरी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 19/96 के मुस्तरका खाता में मु. नं. 46 में 25 बीघा, मु. नं. 55/1 में 4 बीघा कुल 29.00 बीघा में आधा हिस्सा रकबा खातेदारी था। अप्रार्थीगण के पिता

जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ने अपने जीवनकाल में चक 39 एनपी एव ठाकरी की कुल आराजी का बेचान स्वयं को भूमिहीन बता कर चक 32 एनपी कें मु. नं. 195/37 की 25 बीघा दि... 15.04.1961 को चक 39 एनपी के मु. नं. 9/9 की 9 बीघा दिनांक 20.04.68 चक 39 एनप के मु. नं. 43 की 6 बीघा दिनांक 20.04.68 को एवं चक 39 एनपी के मु. नं. 39 की 9.00 बीघा दिनांक 15.04.61 का कलक्टर महोदय से तथ्यों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कुल 34 बीघा बारानी एवं 15 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करवा लिया। वर्तमान में आराजी आवंटी ईशर राम के देहांत के बाद अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है जो प्रारम्भ से शून्य है। ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.04.61 एवं दिनांक 20.04.68 को कराये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र को दिनांक 28.09.2022 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.05.2022 में भूमि की जो गणना की है वह रिकॉर्ड के अनुसार नही है। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थीगण के दादा के पास चक 32 एनपी में दिनांक 15.04.1961 को 31 बीघा 07 बिस्वा भूमि ईशर राम को आवंटित हुई थी जिसमें से 07 बीघा 07 बिस्वा नहरी व 24 बीघा बारानी भूमि थी। 24 बीघा बारानी भूमि को नहरी में परिवर्तन करने पर 08 बीघा नहरी भूमि बनती है। इस प्रकार चक 32 एनपी में 15.7 बीघा नहरी भूमि ईशर राम के पास थी। चक 39 एनपी में मु. न. 9 के कि0न0 16ता24 की 09 बीघा बारानी व मु0न0 पुराना 42 नया 43 के कि0न0 1ता 6 प्रत्येक सालम व कि0न0 07 की 05 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा नहरी, मु0न0 09 के कि0न0 25 की 1 बीघा बारानी इस प्रकार कुल भूमि 16 बीघा 05 बिस्वा जिसमें से 10 बीघा बारानी 6.5 बीघा नहरी का आवंटन दिनांक 20.04.1968 को हुआ है। 10 बीघा बारानी भूमि को नहरी में परिवर्तित करने पर 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि बनती है। इस प्रकार 09 बीघा 07 बीस्वा नहरी भूमि होती है। इस प्रकार दोनो चकों में अप्रार्थीगण के पास कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा बनता है जो कि 25 बीघा से कम रकबा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं करवाया गया है। दोनो चकों की भूमि की खातेदारी सनद कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10.02.1983 व 27.05.1990 को जारी की जा चुकी है। खातेदारी सनद जारी होने के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता । अतः शिकायत खारिज की जावें।

उपरोक्त बहस का खंडन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि दिनांक 26.05.2022 को पारित आदेश विधिसम्मत् है। अतः शिकायत को स्वीकार किया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अलॉटी ईशर पुत्र हीरा को चक 39 एनपी,ठाकरी के भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 10.02.1983 को एवं चक 39 एनपी की 16 बीघा 05 बिस्वा खातेदारी सनद 36142 दिनांक 29.05.1990 को जारी हुई थी। अतः खातेदारी रकबा होने के बाद उसे कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता।

आर बी जे 1995 पेज 780 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए0 आई0 आर0 1994 एस सी पेज 1128 को Reffered करते हुए अवधारित किया गया है कि :-

In Brij Lal Vs Board of Revenue Ors. AIR 1994 SC1128, petitioner BrijLal was allotted the land on temporary basis in the year,1970.He applied for permanenet allotment of this land but the application of the petitioner for permanent was rejected by the Alloting Authority on the ground that the petitioner, at the time when the land was temporarily allotted to him,was minor and, therefore,the allotment of the land on temporary basis to the petitioner was contrary to the provision of Rules and,therefore,he is not entitled for

जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

permanent allotment of the land . The apec Court after considering the lawon the poine and contention raised counsel for the parties,held as under :-

" on the date when the appellant for permanent allotment he was holding the temporary allotment. If the appleant had procured temporary allotment by giving false declaration regarding age then proceeding for cancelling temporary allotmentshould have been undertaken. The temporary lease of the appcllantwas never cancelled. The appellant being "temporary cultivation lease holder." permanent allotment could not be denied to himunder the Rules. We are, therefore, of the view that the Authorities under the Rules and the High Court into patent error in rejectiong the claim of the appellant for permanent allotment."

The allotment of the land in favour of the petitioners, therefore,cannot be said contrary to the provision of the Rules and the presumption is that the allotment was made in their favour in accordance with the procedure provided under the law. There is, therefore, no contravention of any Rules in the allotment of the land to the petitioners.

आर बी जे 1995 पेज 780 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अलॉटमैन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है।

RAJASTHAN LAND REVENUE [ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSES] RULES, 1957 AND 1970 RULE 14[4] AFTER CONFERMENT OF KHATEDARI RIGHTS, ALLOTMENT CANNOT BE CANCELLED.

आर बी जे (16)2009 पेज 201 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि :-

RAJASTHAN LAND REVENUE [Allotment of Land for agricultural Purposes] RULES,1970 -RULE 14[4]- Allotment cannot be cancelled under rule 14[4] after conferment of khatedari Rights.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अलॉटमेन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता तर्क है कि न्यायालय को अलॉटमेन्ट निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है अपने इस तर्क के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 1116 सरकार बनाम बृजलाल वगैरह निर्णय दिनांक 26.02.2016 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

राजस्थान अपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975–धारा 11 व 14–भूमि का आवंटन–रेस्पोण्डेन्ट नं. 02'एच' ने आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र निरस्त किया– अति. कलेक्टर ने आवंटन निरस्त किया– राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया– अति. कलेक्टर को अधिकारिता नहीं–पारित किया आदेश बिना अधिकारिता के था व सही अपास्त किया–निर्णीत, अपील खारिज होने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध खातेदारी सनद चक 39 एनपी,ठाकरी की 16 बीघा 07 बिस्वा जिसमें से 24 बीघा बारानी भूमि है तथा चक 39 एनपी की 16 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बीघा बारानी भूमि है इस प्रकार दोनों सनदों में कुल 34 बीघा बारानी भूमि है । बारानी भूमि 34 बीघा को नहरी भूमि में परिवर्तित करने पर 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि नहरी भूमि बनती है। इस प्रकार 11 बीघा 7 बिस्वा + 13 बीघा 12 बिस्वा कुल 24 बीघा 19 बिस्वा नहरी भूमि अप्रार्थीगण के धारण में है जिसकी खातेदारी सनद कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10.02.1983 एवं 29.05.1990 को जारी हो चुकी है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विन्रम मत में हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने, खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं होने के कारण प्रकरण हाजा में कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा पूर्व पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अटारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर